न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/24

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
वोराराम पुत्र नेनाराम जाति राईका, निवासी बागावास, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15.02.2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत के राजस्व प्रकरण संख्या 1181/2020 सरकार बनाम वोराराम में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का धाकड़ी ने अपीलाण्ट द्वारा मौजा बागावास के खसरा नम्बर 965 रकबा 0.12 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि पर पक्का मकान मोबाइल टावर लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए टी. पी. रिपोर्ट तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार सोजत ने प्रकरण संख्या 1181/2020 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 20.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट का पुत्र उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश करने बाबत अवसर चाहा तथा अपीलाण्ट स्वयं आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.12.2020 को मातहत अदालत में पेश हुआ तथा अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने हेतु पुनः अवसर चाहा, लेकिन मातहत अदालत ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.12.2020 को अपीलाण्ट के अनुपस्थित रहने पर भी, उसे उपस्थित बताते हुए, अपीलाण्ट को जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, 50/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए, एक माह के सिविल करावास के दण्ड से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित [illegible] पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने [illegible] विधि [illegible] आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 965/4 किस्म [illegible] की [illegible] पर बैठा है, जो उसकी खातेदारी भूमि है। उसने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का [illegible] बिना सीमांकन किए ही, अपीलाण्ट के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश कर दी तथा तहसीलदार सोजत ने बिना जांच किए ही, मात्र टी.पी. रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, उसके विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में भी अतिक्रमण किया था तथा उक्त आराजी पर पुनः अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर हल्का पटवारी धाकड़ी द्वारा इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट का आज भी जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी धाकड़ी ने अपीलाण्ट वोराराम द्वारा मौजा बागावास के खसरा नम्बर 965 रकबा 0.12 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि पर पक्का मकान व मोबाईल टावर लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 1181/2020 दर्ज करते हुए अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलाण्ट का पुत्र दिनांक 20.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिसकी ताईद मातहत अदालत की पत्रावली से होती है तथा साक्ष्य एवं सबूत पेश करने बाबत समय चाहा तो, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे तारीख पेशी दिनांक 24.12.2020 को साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 24.12.2020 को अपीलाण्ट स्वयं न्यायालय में पेश हुआ तथा मौखिक रूप से जैर अपील आराजी पर कब्जा किया जाना स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि मातहत अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किए जाने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया तथा उसके द्वारा मातहत अदालत के समक्ष किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 965/4 पर काबिज है तथा मातहत अदालत ने उसके विरूद्ध बिना सीमांकन किए ही कार्यवाही की है। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 965 किस्म बारानी दोयम की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने से उसके विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट पेश की है, जबकि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 965/4 किस्म गै.मु. बाड़ा की भूमि है, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट को किसी प्रकार का उज्र था, तो मातहत अदालत के समक्ष उसे अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश करने चाहिए थे। अपीलाण्ट आज भी जैर अपील आराजी पर काबिज है तथा उसके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार सोजत के प्रकरण संख्या 1181/2020 अनवान सरकार बनाम वोराराम में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2020 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति साथ उनके कार्यालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली